

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय
वल्लभ भवन, मोंपाल-462004

संक्रमांक एफ 73-56/2010/20-3

मोंपाल, दिनांक 28/6/10

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय - अशासकीय शिक्षण संस्था सेंट टैरेसास कान्वेंट हाई स्कूल,
कालापौपल, शाजापुर (म०प्र०) को सीबीएसई, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विध्याकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ
पत्र के आधार पर संस्था को सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने
के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी
शाजापुर (म०प्र०) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में
सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए
निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक
रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा
शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने
वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीबी पडवार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

